



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक /2015 जिला-मंदसौर

विधिपति-३७२-II-१५

मोहम्मद अय्यूब पुत्र अब्दुल रहीम,  
निवासी - जगगाखेड़ी, मंदसौर, तहसील  
व जिला मंदसौर (म0प्र0)

..... आवेदक

विरुद्ध

- (1) तहसीलदार मंदसौर कैलाशचन्द्र तिवारी  
मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर  
(म0प्र0)
- (2) फययाज अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद  
निवासी - भोईबाड़ा, मंदसौर, तहसील  
व जिला मंदसौर (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

प्रार्थना-एवं अन्वर्गन सामग्री

श्री लोम चतुर्भुज  
द्वारा आज F १८ फर्वरी १५ को  
प्रस्तुत  
१८-२-१५  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजरव मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – विविध 372-दो / 15

जिला – मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 7-3-15 में राजस्व मण्डल के आदेश का पालन कर दिये जाने की बात कही गई है तथा यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन किये जाने के संबंध में ध्यान रखा जायेगा। ऐसी रिस्ति में यह अवमानना प्रकरण समाप्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	